COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

रेस्टो 882-I-15 प्र0क0 / /2015

राजकुमार व अन्य ....आवेदकगण

विरूद्ध

नारायण सिंह ....अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :

1. यह कि आवेदक ने माननीय महोदय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कि गयी थी। जो कि सुनवाई हेतु दिनांक 31/12/14 को माननीय न्यायालय के समक्ष नियत था । यह कि आवेदकगण द्वारा अपने अभिभाषक को पेशी दिनांक 31/12/14 को उपस्थित होने के सबन्ध में अभिभाषक पत्र दिया गया था। तथा आवेदक अभिभाषक अन्य प्रकरणो में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे । परन्तु उक्त प्रकरण से सबधित नस्ती एवं वकालतनामा त्रुटिवश अन्य नस्ती में संलग्न हो जाने के कारण आवेदकगण अभिभाषक उक्त प्रकरण में भूलबश वकालतनामा प्रस्तुत कर हस्ताक्षर करना भूल गये । तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 24/02/15 नियत कि गयी । परन्तु आवेदकगण उसके अभिभाषक को दिनांक 24/02/15 कि पेशी की जानकारी नही थी। इसलिये आवेदकगण एवं उसके अभिभाषक नियत दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण उपस्थित नही हो सके। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त करने के आदेश दिये । आवेदकगण के अभिभाषक को दिनांक 22/03/15 जब उक्त प्रकरण कि नस्ती प्राप्त हुई तब आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा दिनांक 23/03/15 को ग्वालियर में अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित से प्रकरण कि जानकारी के लिये फोन पर सम्पर्क किया ... अदम पैरवी में निरस्त होने कि

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

NOTARY DISTT. BHOPAL GOVT. OF INDIA

XXXIX(a)-BR(H)-11

संजय कुमार / नारायण सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 632-I/15 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.8.15	आवेदक अभि. श्री प्रेम सिंह ठाकुर को रेस्टोरेशन पर सुना गया। प्रकरण को रेस्टोर कर पुनः नम्बर पर लिये जाने का कारण समाधानपूर्वक होने एवं शपथ पत्र का अवलोकन करने के पश्चात यह रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार कर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	12/8

[कृ. प. उ.